पुलिस विभाग अजमेर

—: प्रेस नोट :—दिनांक 01.01.2018

अवैध शराब सहित 35 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना किश्चनगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान थानाधिकारी थाना कि.गंज अजमेर ने अवैध शराब बेचते हुए अभियुक्त बिशन कुमार कश्यम पुत्र भंवर लाल उम्र 47 साल जाती कहार निवासी पानी की टंकी के पास इन्द्रा कॉलोनी कि0गंज पुलिस थाना कि0गंज अजमेर को गिरफतार किया गया। तथा 47 पव्वे देशी शराब के जब्त किया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस थाना अलवर गेट में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार 19/54 आबकारी अधि0के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत पालना मे सुरेन्द्र सिह मय हमराही मुलाजमान जगदीश रितेश शर्मा मय अनुसंधान बाक्स व्यक्तिगत लेपटाप मय निजी वाहन के ईलाका गस्त न जरायम कन्ट्रोल हेतु थाना हाजा से रवाना होकर गस्त करते हुये जादुघर पहुचे जहा पर मुखबीर खास ने मन हैडकानि. को सूचना दी कि एक लडका कुम्हार मौहल्ला जादुघर मे देशी शराब के पव्वे बेच रहा है इतला विसवसनीय होने से हमराही जाप्ते को इत्तला से अवगत करवाकर जगदीश को स्वतंत्र गवाह मामुर कर लाने हेतु रवाना किया जिसने कुछ समय पष्चात वापस आकर बताया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर मे तथा स्थानीय मामला होने से कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नही है जिस पर हमराही

जाप्ते मे से रितेश को गवाह मामुर कर जादुघर से रवाना होकर कुम्हार मौहल्ला जादुघर अजमेर सडक पर पहुचे जहा पर मांगी उर्फ सुभाष पुत्र महेन्द्र जाति कोली उम्र 26वर्ष निवासी कुम्हार मौहल्ला जवाहर जादुघर नाम के व्यक्ति को बीट रितेश ने पहचान कर उसकी और हाथ का ईशासा कर बताया कि वो मांगी उर्फ सुभाष ही जो बोरी के टाट से ढके सामान पर बैठा पाया गया। जैसे ही मन हैडकानि. मय हमराही मुलाजमान के उसकी और मुडे तो वह एकदम पुलिस जाप्ते को देखर गली मे भाग गया। जिसका पिछा मन हैडकानि. मय हमराही मुलाजमान ने किया तो नही मिला जिस पर हैडकानि. ने हमराही मुलाजमानो ने बोरी के टाट को हटाकर चौक किया तो बोरी के टाट के नीचे एक पैटी देशाी घुमर के पव्वे री मिली जिनको गिना तो 48 पव्वे घूमर देशी शराब सादा 150 /80 एम एल लेबल जिनके नीले ढक्कन पर अग्रेजी मे ग्लोबल स्प्रीट लिमिटेड बहरोड लिखा हुआ पाया। मागी उर्फ सुभाष नाम का लडका इस तरह पुलिस जाप्ते को देखर भागने मे सफल हुआ मागी उर्फ सुभाष का भागना व बिना लाईसेस व परमीट के अपने कब्जे मे इतनी मात्रा मे शराब रखकर बेचना अपराध धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम 1950 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त को जरिये फर्द जब्ती के कब्जे पुलिस मे लिया जाकर शराब के 48 पव्वे मे से देशी शराब घूमर जिनमे से एक पव्वा रासायनिक परीक्षण हेतु निकालकर नमुना सैम्पल शिल्ड मोहर कर नमूना सैम्पल पर मार्का । व शेष 47 पव्वो को बोरी की टाट मे रखकर मार्का ठ अंकित किया व फर्द सपर नमुना सील अकित की जाकर शिल्ड मोहर कर चिट चेपा किया दया मौके की कार्यवाही कर हैडकानि. मय हमराही मुलाजमान मय फर्दात जब्ती शराब जब्त शुदा शराब नमुना सैम्पल मार्का । के उप. थाना आया रिपोर्ट जुर्म कायमी हेतु की सेवामे सादर प्रस्तुत ह आदि रिपोर्ट पर प्रकर.ा संख्या 01/2018 धारा 19/54 राज0आबकारी अधिनियम 1950

में दर्ज कर अनुसंधान सउनि पूर.ामल के जिम्मे कर अनुसंधान आरम्भ किया •या ।

पुलिस थाना अलवर गेट में बुद्वाराम लीलाराम मनीष कुमार मय निजी वाहन मोटर साइकिल मय अनुसंधान बाक्स मय लेपटाप मय प्रिन्टर के वास्ते गस्त व जुरायम कन्टोल हेतु थाने से रवाना होकर गस्त करता हुआ गुरुद्वारा के पास अलवर गेट पहुचा जहा पर मुखबीर खास ने मन सउनि को सुचना दी की जादुगर कुमार मोहल्ला खटपुरा अलवर गेट के पास गुरुद्वारा वाली गली से थोडा आगे गली मे एक लडका गठीला कद का गोरे रंग का जिसने सफेद जाकिट जीन्स पेंट पहने हुआ हे जिसके हाथ मे एक सफेद प्लासटिक का कटटा जिसमे देशी शराब के पव्वे भरे हुए है जो अवैध शराब राहगीरो को बेचने की फिरा मे खडा है तुरंत दबिश दी जावे तो पकड मे आ सकता है मुखबीर की सुचना विश्वासनीय होने से मन सउनि ने हामराही जाप्ते को अवगत करवाकर कारवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह लाने के लिए लीलाराम को रवाना किया गया जिसने थोडी देर बाद वापस आकर बताया की रात्रि का समय होने पर व कोर्ट कचेहरी व पुलिस के चक्कर मे नही पडने व स्थानीय मामला होने से कोई स्वतंत्र गवाह बनने को कोई तैयार नही हुए जिस पर हमराही जाप्ते मे से लीलाराम मनीष कुमार को गवाह मामुर कर मन सउनि मय हमराही जाप्ता के एकदम गली मे पहुचा जहा पर मुखबीर द्वारा बताये अनुसार उक्त गली मे कानि लीलाराम ने बताया की व कन्हैया उर्फ अन्ना पुत्र महेन्द्र सिह जाति कोली निवासी कुमार मोहल्ला जादूगर खटपुरा अजमेर जो अवैध शराब रख कर बेचता है इससे पहले भी अवैध शराब बेचते हुए पकडा गया था अभी भी अवैध शराब बेचने की शिकायत है मय अच्छी तरह जानता है यह एचएस राबीया का लडका है उक्ता लडके को मन सउनि ने रुकने की हिदायत की मगर सामने वाली पतली गली मे अंधरे का फायदा उठाकर भागा जिसका पीछा किया लेकिन रात्रि का समय होने का फायदा

उठाकर गलीयो मे भाग गया जिसका पीछा किया गलीयो मे ले काफी तलाश की मगर नही मिला मन सउनि उक्त लडके द्वारा भागते समय मौके पर छोडे गये एक सफेद प्लास्टिक के कटटे को चौक किया तो कटटे मे घूमर देशी शराब 50 यूपी 180 एमएल क्षमता के कुल 48 पव्वे प्लास्टिक के मिले जिसके नीले रंग के ढकन के मिले इस प्रकार उक्त व्यकिती कन्हेया उर्फ अन्ना द्वारा अपने कब्जे मे बिना लाइसेस व परमीट के अवैध शराब रखना व बेचना अपराध धारा 19/54 एक्ससाइज एक्ट के तहत दण्डनीय आपराध होने से शराब को बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया जाकर सभी पव्वे एक ही ब्राण्ड के होने से रासायनिक परीक्षण हेतु एक पव्वे को नमूना सैम्पल निकाल कर शिल्ड मोहर कर मार्क । 02/2018 धारा 19/54 राज0आबकारी अधिनियम 1950 में दर्ज किया गया
।

पुलिस थाना नसीराबाद सिटी द्वारा टास्क कार्यवाही करते हुये शक्स प्रषान्त पुत्र रामलाल जाति हरिजन उम्र 39 साल निवासी छोटी बाजारी नसीराबाद थाना नसीराबाद सिटी जिला अजमेर से एक कार्टुन जिसमे मे ढोला मारू देशी शराब मदिरा सादा शराब के 48 पव्वे बरामद किये जिस पर थाना हाजा पर मुकदमा नम्बर 01/2018 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस थाना भिनाय में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान थानाधिकारी थाना भिनाय अजमेर ने अवैध शराब बेचते हुए अभियुक्त देवा पुत्र भूरा जाति रावत उम्र 50 साल निवासी भूपडियाखेडा थाना भिनाय जिला अजमेर को गिरफतार किया गया। तथा 48 पव्वे देशी शराब के जब्त किया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया।

2 लीटर हथकड शराब जप्त, एक मुल्जिमा गिरफतार,

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक आज 01.01.18 को थाना क्षैत्र कंजर बस्ती चौराया रामगंज अजमेर मे विजय कुमार सउनि मय जाप्ता द्वारा दबिश देकर मुल्जिमा सुनिता पत्नी ताराचन्द जाति कंजर उम्र 50 साल निवासी कंजर बस्ती रामगंज थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से 2 लीटर हथकड शराब को जप्त कर मुल्जिमा को गिरफतार किया गया एवं मुल्जिमा के विरूद्व मु0न0 01/18 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम मे मुकदमा दर्ज किया गया।

(अवैध देशी शराब सहित एक गिरफतार)

पुलिस थाना दरगाह में जिला पुलिस अधीक्षक **राजेन्द्र सिह** व **पुलिस उप अधीक्षक वृत्त दरगाह अजमेर औम प्रकाश मीना** के मार्गदर्शन पर आज दिनांक 01.01.2018 को मन थानाधिकारी मानेवन्द्र सिह के दिशा निर्देश पर श्री कानाराम उप निरीक्षक मय जाप्ता श्री महेन्द्र सिह, श्री

सुरेश कुमार, जितेन्द्र विजय, कानिगण की सयुक्त टीम द्वारा थाना क्षैत्र मे रात्रि के समय मुस्लिम मोची मोहल्ला अजमेर मे बिना परमीट व लाईसेन्स के अवैध रूप से देशी शराब के पव्वे बेचने की फिराक शेख सलमान पुत्र शेख गुलाम रसूल जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी हसीना बेगम का मकान नवलनगर लोगिया मोहल्ला थाना गंज अजमेर हाल मक्सूद मास्टर का मकान अन्दरकोट अजमेर को देशी शराब के 48 पव्वो सहित गिरफतार किया जाकर प्रकरण सं 01/2018 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे दर्ज किया गया।

पुलिस थााना मदनगंज जोगेन्द्र राठौड पु0 नि0 मय सीताराम छोटूराम मय सरकारी जीप के मय अनुसंधान बोक्स मय लेप टोप मय प्रिन्टर के टास्क कार्यवाही हेतु थाना हाजा से रवाना भटट गैस्ट हाउस के पास पहुंचा तो जहा पर मुखविर खास ने मन एसएचओ को इतला दी कि चैनपुरिया मे एक व्यक्ति शराब बेच रहा है उक्त इतला मोमिन होने पर हमरा जाप्ता को अवगत करवाया गया व स्वतंत्र गवाह लाने हेतू सीताराम को मुनासिव हिदायत कर रवाना किया गया जिसने कुछ समय बाद ही आकर बताया कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में गवाही के चक्कर में नहीं पडने के कारण गवाह बनने के लिये तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में हमरा जाप्ता में से सीताराम छोटूराम को स्वतंत्र गवाह मामूर किया जाकर मौखिक रुप से सहमती प्राप्त की गई। समय 4.15 पीएम पर भटट गैस्ट हाउस से रवाना होकर समय 4. 30 पीएम पर चैनपुरिया गोपाल जी के फार्म से थोडा आगे पहॅुचे तो एक व्यक्ति मुतावित इतला मुखविर के तिराहे के पास दिवार के पास शराब बेचता नजर आया जो कि पुलिस की जीप को देखकर जाने लगा जिसे हमरा जाप्ता ने व मन एसएचओ ने रोका व नाम पता पूछा तो अपना नाम

शोभराज पुत्र नोरत जाति मेहरा उम्र 28 साल निवासी चेनपुरिया थाना मदनगंज जिला अजमेर का होना बताया व श्री शोभराज के पास एक कार्टून मिला जिसको देखा गया तो कार्टून में देशी शराब के पब्बे भरे हुये पाये गये श्री शोभराज से उक्त शराब के बारे में पुछा गया तो गल्ती की माफी चाहने लगा श्री शोभराज से उक्त शराब को अपने कब्जे में रखने व बेचने बावत परमिट व लाईसेन्स मॉगा गया तो अपने पास परमिट व लाईसेन्स नहीं होना बताया श्री शोभराज का यह कृत्य धारा 19/54 एक्साईज एक्ट की हद तक पहुॅचने पर कार्टून को खोलकर पब्बे गिने गये तो कुल 20 पब्बा देशी शराब के होना पाया गया जिन्हे कब्जे पुलिस लिया गया। 20 पब्बा प्लास्टिक के जिसमें देषी शराब ढोला मारु स्ट्रांग देशी शराब 180 एमएल 40 यूपी विनटेज डिस्टिलर्स लिमीटेड 117 एमआईए अलवर राजस्थान के मिले। 20 पब्बा देषी मदिरा सादा में से एक पब्बा बतौर नमूना सेम्पल लिया जाकर पब्बा को शील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया शेष बचे 19 पब्बो को उसी कार्टून में रखकर शील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया गया। मुलजिम श्री शोभराज को जरिये फर्द गिरफतार किया गया। फर्द जप्ती पर नमूना शील अंकित की गई बाद कार्यवाही के हाजिर थाना आया हालात उच्च अफसरान बाला को निवेदन किये गये आदि पर मु0 न0 01/2018 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में कायम कर तफतीश श्री हनुमान सहाय एसआई के जिम्मे की गई प्रतिया एफआईआर नियमानुसार जारी की गई जप्त शुदा माल व नमूना सेम्पल को जमा माल खाना करवाया गया एवम मुलजिम शोभराज को बन्द हवालात किया जाकर मामूरा संतरी को सुपुर्द किया गया। चार्ज थाना स्वम के जिम्मे लिया।

पुलिस थाना अरांई में मोहनराम,शैलेन्द्र कुमार रीना यादव मय जीप सरकारी एंव चालक रामस्वरूप मय के वास्ते गस्त जरायम कन्ट्रोल एवं ईलाका गश्त हेतु मय अनुसन्धान बॉक्स के जानिब ईलाका थाना रवाना हो

गस्त करता हुआ समय 05.00 पी.एम. पर ग्राम सील पंहुचा की मुखबिर खास ने मन हैड कानि. को इत्तला दी कि एक व्यक्ति सील से सान्दोलिया की तरफ सिर पर सफेद प्लास्टिक का कट्टा रख कर जा रहा है, जिसमे शराब हो सकती है, आदि इत्तला से हमराही जाप्ता को अवगत कराया गया एवं हमराह जाप्ता में से श्री शेलेन्द्र कुमार कानि 617 को दो स्वतंन्त्र गवाह तलब कर लाने हेतु हिदायत कर रवाना किया जिसने कुछ समय पश्चात वापस आकर मुझे बताया कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी के डर से गवाह बनने को तैयार नही है। जिस पर हमरा जाप्ता में श्री शैलेन्द्र कानि 617 व म.कानि 2580 रीना यादव को गवाह मामूर कर रवाना हो समय करीब 05.30. पी.एम.पर सील से सान्दोलिया के बीच चांगल कृर्षि फार्म के सामने पहुंचे तो मुताबिक ईत्तला के एक व्यक्ति सील से सान्दोलिया रोड पर चांगल कृर्षि फार्म के पास सिर पर एक सफेद प्लास्टिक का कट्टा रख कर जाता हुआ दिखायी दिया, जिसको हाथ से रूकने का इशारा किया तो भागने का असफल प्रयास किया जिसको हमराही जाप्ता के बामुश्किल पकडा व तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो अपना नाम सुखाराम पुत्र श्री चन्द्रा जाति रेगर उम्र 60 साल निवासी सान्दोलिया पुलिस थाना अरांई जिला अजमेर का होना बताया एंव प्लास्टिक के कट्टे मे रखे हुये सामान बाबत पूछा तो घबराते हुये कुछ नही होना बताया जिस पर प्लास्टिक के कटटे में रखे कार्टून को खोलकर चैक किया तो ढोला मारू स्ट्राग देशी शराब के कुल 54 प्लास्टिक के पव्वे भरे हुये मिले। शख्स सुखाराम को उक्त शराब के पव्वों को पास मे रखने एंव परिवहन करने के बारे मे कोई अधिकार पत्र /लाइसेन्स मांगा तो नही होना बताया। शख्स सुखाराम द्वारा बिना अधिकार पत्र/लाइसेन्स के उक्त शराब पास मे रखने एंव परिवहन करना जुर्म धारा 19/54 आबकारी अधिनियम की हद को पहुचंने पर मौके की कार्यवाही कर हाजिर थाना आकर रिपोर्ट पेश की

जिस पर प्रकरण संख्या 01/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

आबकारी अधिनियम में दो प्रकरण दर्ज

पुलिस थाना केकडी पर सउनि प्रभूलाल मय अपनी टीम के कार्यवाही करते हुए दशी शराब के 56 पव्वे सहित मुल्जिम श्री माधुलाल पुत्र श्री मांगू जाति बैरवा उम्र 45 साल निवासी श्यामपुरा पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को धारा 19/54 आब अधि. में गिरफतार किया गया आदि पर मु नं 01/18 धारा उपरोक्त में दर्ज किया गया ।

पुलिस थाना केकडी पर उप नि नाहरसिंह मय अपनी टीम के कार्यवाही करते हुए देशी शराब के 52 पव्वे सहित मुल्जिम नोरतमल पुत्र जगन्नाथ जाति भील उम्र 24 साल निवासी देवगांव पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को धारा 19/54 आब अधि. में गिरफतार किया गया आदि पर मु नं 02/18 धारा उपरोक्त में दर्ज किया गया ।

पुलिस थाना सरवाड में गजेन्द्र सिंह पुत्र उर्फ गोविन्द पुत्र श्री नरपत जाति दरोगा उम्र 30 साल निवासी बडगांव पुलिस थाना भिनाय जिला अजमेर को मुकदमा न0 01/18 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधि0 मे गिरफतार किया गया।

35 पव्वे अवैध देशी शराब जप्त प्रकरण दर्ज

पुलिस थाना आदर्शनगर में बाबू लाल सउनि द्वारा लोहरो का बाडिया बडल्या रिको से 35 पव्वे देशी शराब जप्त कर मुल्जिम श्री अभयसिंह पंवार पुत्र बालूसिंह जाति रावत उम्र 25 साल नि. ग्राम बडल्या थाना आदर्शनगर अजमेर के विरूद्व मु.न. 01/18 धारा 19/54 आबकारी दर्ज करवाया।

अवैध देशी शराब के 30 पव्वे जप्त

पुलिस थाना पुष्कर में हरजीराम उनि द्वारा दौराने गश्त मुखबिर की इत्तला पर हरजी पुत्र नाथू जाति रावत उम्र 42 साल निवासी गनाहेडा के कब्जे से 30 देशी शराब के पव्वे जप्त किये। इस संबंध मे थाना पर प्रकरण संख्या 01/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम मे दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम में 3 कार्यवाही

पुलिस थाना ब्यावर में प्रकरण सं 01/18 धारा 19/54 राआअ में मुलिजम विजय सांसी पुत्र धर्मीचंद जाति सांसी उम्र 28 साल निवासी सांसी बस्ती ब्यावर को 28 बीयर की बोतल जब्त कर गिरफतार किया।प्रकरण सं 02/18 धारा 19/54 राआअ में मुलिजम सुनील कुमार पुत्र रमेशचंद जाति वाल्मिकी उम्र 32 साल निवासी नेहरू नगर हरिजन बस्ती ब्यावर को 70 पव्वे देशी शराब के जब्त कर गिरफतार किया।प्रकरण सं 03/18 धारा 19/54 राआअ में मुलिजम भगवानदास पुत्र हापुलाल जाति छीपा उम्र 60 साल निवासी

चरखी गली ब्यावर को 23 बीयर की बोतल जब्त कर गिरफतार किया।

खाईवाली करता हुआ एक व्यक्ति गिरफतार

पुलिस थाना केकडी में एसएचऔ नेमीचन्द चौधरी मय टीम के दौरान गश्त खाईवाला करता हुआ मुल्जिम जगदीश पुत्र बरदा जाति बैरवा उम्र 50 साल निवासी उगान खेडा पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को धारा 13 आरपीजीऔ मय अदम अदखाल जमानत गिरफतार किया गया आदि पर म ुनं 03/18 धारा उपरोक्त में दर्ज किया गया ।

पुलिस थाना ब्यावर स दर में पर आज दिनाकं 1.1.2018 को दोराने गश्त मुखबीर खास की इतला पर मदन पुत्र मल्ला जाति मेहरात उम्र 40 निवासी श्यामगढ पुलिस थाना सदर ब्यावर को गिरफतार किया जाकर उसके कब्जे से 60 पव्वे देशी शराब के जप्त किया जाकर मु न 1/2018 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम मे दर्ज कर मुल्जिम को पेश न्यायालय किया गया ।

पुलिस थाना क्लॉक टॉवर अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना गोपाल राम उनि, सुरज कुमार है.कानि. 121, श्री भवानी सिंह कानि. 677 द्वारा मुल्जिम सुधीर पुत्र नन्हैलाल जाति कश्यप उम्र 35 साल निवासी फरूखा बाद थाना बिलासपुर उत्तर प्रदेश हाल शीशा खान थाना क्लॉक टॉवर अजमेर को सार्वजनिक स्थान पर जुआ सटटा की खाईवाली करते हुये को गिरफ्तार कर मुल्जिम के कब्जे से सटटा पर्ची व 400 रूपये बरामद किये गये।

शांती व्यवस्था भंग करने मे 05 आरोपी गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में रात्री मे थाना क्षैत्र में शांती व्यवस्था भंग करने पर 1–लोकेश पुत्र गिरधारी लाल जाति सिंधी उम्र 29 साल निवासी 2/5 अजयनगर पुलिस थाना रामगंज अजमेर 2–रहीश पुत्र मो शरीफ जाति मुसलमान उम्र 19 साल निवासी नई बस्ती लोहखाना पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर 3– हनीफ पुत्र हबीब जति मुसलमान उम्र 19 साल निवासी नई बस्ती लोहखाना पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर 4– शाहरूख पुत्र मो सदिक जाति मुसलमान उम्र 20 साल निवासी नई बस्ती लोहखाना पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर 5 राजेन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति राजपुत उम्र 23 साल निवासी लोहाखान पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफतार किया गया।

पुलिस थाना सरवाड मुल्जिम 1 श्री पंकज पुत्र श्री सत्यनारायण जाति वैष्णव , 2 श्री पुखराज पुत्र श्री कालुराम जाति जाट, 3 श्री हरिराम पुत्र श्री किशनलाल जाति जाट, 4 श्री मुकेश पुत्र श्री रामराज जाति जाट, 5 श्री बाबुलाल पुत्र श्री रामकिशन जाति तेली निवासीगण बोराडा थाना बोराडा जिला अजमेर, 6 श्रीराम पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट उम्र 18 साल , 7 श्री रामचरण पुत्र श्री शिवराज जाति जाट उम्र 20 साल निवासीगण डबरेला थाना बोराडा जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफतार किया गया।

पुलिस थाना सरवाड भागचन्द पुत्र श्री सोहन लाल जाति बैरवा उम्र 35 साल निवासी लल्लाई थाना सरवाड जिला अजमेर को धारा 185 एमवी एक्ट में गिरफतार किया गया।

पुलिस थाना सरवाड भागचन्द पुत्र श्री हजारी जाति रेगर उम्र 32 साल निवासी सरवाड थाना सरवाड जिला अजमेर, 2 श्री नारू पुत्र श्री गोरू जाति बंजारा उम्र 21 निवासी सरवाड, 3 श्री प्रहलाद पुत्र श्री रतनलाल जाति बैरवा उम्र 30 साल निवासी लल्लाई थाना सरवाड जिला अजमेर को धारा 60 पुलिस एक्ट में गिरफतार किया गया।

रात्री के समय में तेज आवाज में साउण्ड बजाने वाले गिरफतार

पुलिस थाना क्रिश्चनगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान थानाधिकारी थाना कि.गंज अजमेर ने 31 दिसम्बर की रात्री के समय में तेज आवाज में साउण्ड बजाने पर लेक हेवन रेस्टोरेन्ट के संचालक प्रशान्त साहु पुत्र गुलाबचंद साहु उम्र 30 साल नि. माली मौहलला बजरंग कॉलोनी फॉयसागर रोड़ अजमेर को जरीये फर्द गिरफतार किया गया। व साउण्ड , स्पीकर को जब्त किया गया।

इसी प्रकार सुकुन रेस्टोरेन्ट में संचालित अभियुक्त लोकेश यादव पुत्र दिलीपसिंह जाति यादव निवासी हर्ष विहार कॉलोनी जयपुर रोड़ अजमेर द्वारा 31 दिसम्बर की रात्री को तेज आवाज में बजाने पर साउण्ड , स्पीकर को जब्त किया गया। तथा प्रकरण दर्ज किया गया। अभियुक्त लोकेश यादव मौके से फरार हो गया। जिसकी तलाश जारी है।